न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 05 / 2022

अपीलकर्ता		उत्तरदातागण
1 चनणीदेवी पत्नी श्रीरामाराम जाति जाट निवासी खारिया तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत भाड़खा 2 ठाकराराम 3 महेशाराम पिसरान श्रीरामाराम जाति जाट निवासी खारिया तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 4 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री भीमाराम कुमावत, वकील अपीलकर्ता पक्ष।
2. श्री प्रेम प्रजापत, वकील उतरदाता संख्या 02।
3. श्री भोमाराम चौधरी, वकील उतरदाता संख्या 04।

आदेश

दिनांक 08/08/24

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796 / 577 रकबा 60.19 बीघा भूमि आई हुई है, जो भूमि वक्त सेटलमेन्ट अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 के पूर्वज रावता व हरदान पिसरान केशरा की खातेदारी में अंकित हुई। अपीलान्ट के पति श्रीरामा के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 में उतरदाता संख्या 01 द्वारा उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम पारित किया गया, जबकि अपीलान्ट श्रीमारा की धर्मपत्नी थी, जिसके अनुसार प्रथम वर्ग की वारिशान होने से नामान्तकरण संख्या 429 अवैध रूप से बिना विधक वारिशान की जांच किये बिना पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त करने योग्य है। अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 का वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1 / 3–1 / 3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। उक्त नामान्तकरण संख्या 429 का ज्ञान अपीलकर्ता को नही हुआ। पटवारी हल्का से अपील प्रस्तुत करने से 01 माह पूर्व नकले प्राप्त करने पर उक्त नामान्तकरण संख्या 429 का सर्वप्रथम अपीलकर्ता को ज्ञान हुआ, जो नामान्तकरण संख्या 429 की नकले प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता से कहा गया जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.03.2022 को नकले मांगी जो नकले तैयार होकर दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त हुई। उक्त नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 उतरदाता संख्या 01 द्वारा बिना जांच किये पारित किया गया जबकि अपीलकर्ता श्रीरामा की पत्नी होने के नाते प्रथम श्रेणी की वारिशान है, जिसके अनुसार मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796 / 577 रकबा 60.19 बीघा भूमि में अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 प्रत्येक का 1 / 3–1 / 3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। उरतदाता संख्या 01 द्वारा न तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तरदाता संख्या 02 व 03 से श्रीरामाराम के वारिशान का शपथ पत्र प्राप्त किया तथा नही विधि के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया, जिस पर अपीलकर्ता के अंगुष्ठ निशान या हस्ताक्षर अंकित नही है। नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 विधि के परीप्रेक्ष्य में तथा जांच किये बिना पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसे अपास्त करवाने की अपीलकर्ता अधिकारीणी है। लिहाजा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/577 रकबा 60.19 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 द्वारा श्रीरामाराम के स्थान पर अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा अंकित करवाने का आदेश फरमावें।

वकील अपीलकर्ता द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से अपील प्रस्तुत करने से 01 माह पूर्व नकले प्राप्त करने पर उक्त नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 का सर्वप्रथम अपीलकर्ता को ज्ञान हुआ जो नामान्तकरण संख्या 429 की नकले प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता से कहा गया जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.03.2022 को नकले मांगी जो नकले तैयार होकर दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त हुई तब अपीलकर्ता ने नामान्तकरण व जमाबन्दी की नकले अपील प्रस्तुत करने से 01 माह पूर्व प्राप्त की तब अपीलान्ट का उक्त नामान्तकरण का ज्ञान होने पर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील उतरदाता संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/577 रकबा 60.19 बीघा भूमि आई हुई है, जो भूमि वक्त सेटलमेन्ट अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 व 03 के पूर्वज रावता व हरदान पिसरान केशरा की खातेदारी में अंकित हुई। अपीलान्ट के पति श्रीरामा के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 में उतरदाता संख्या 01 द्वारा उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम पारित किया गया, जबकि अपीलान्ट श्रीमारा की धर्मपत्नी थी, जिसके अनुसार प्रथम वर्ग की वारिशान होने से नामान्तकरण संख्या 429 अवैध रूप से बिना विधिक वारिशान की जांच किये बिना भूलवश पारित कर दिया, जबकि अपीलकर्ता श्रीरामा की धर्मपत्नी है तथा प्रथम श्रेणी की वारिशान है। लिहाजा मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/577 रकबा 60.19 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 429 का खारिज किया जाकर अपीलकर्ता का नाम भी खातेदारी में दर्ज किया जाता है तो उतरदाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

2 को कोई आपति नही है। वकील उतरदाता संख्या 04 जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। लिहाजा उतरदाता संख्या 04 का जवाब बन्द किया जाता है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971, खतौनी बन्दावस्त 2012 से 2031, जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तथा नक्शो का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 में श्रीराम वल्द भारू के वैध वारिशान की जांच किये बिना उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम पारित किया गया है। लिहाजा मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/577 रकबा 60.19 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 को अपास्त किया जाकर पुनः श्रीराम पुत्र के वैद्य वारिशान की जांच करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण का रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/577 रकबा 60.19 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 429 वर्ष 1971 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 796/577 रकबा 60.19 बीघा भूमि में स्वर्गीय श्रीरामाराम के वैद्य वारिशों की जांच करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टी पुनः दर्ज करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 08/08/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर